19 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न 11 बजे) से पूर्व जारी करने के लिए प्रतिबंधित

एशियाः सरकारों को संयुक्त रूप से प्रवासी मजदूरों का संरक्षण करना चाहिए

5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई, क्षेत्रीय वार्ता से मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान होगा

(ढाका, 19 अप्रैल, 2011)– आज जारी एक विज्ञप्ति पत्र में ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) माइग्रेन्ट फोरम इन एशिया (Migrant Forum in Asia) और सीएआरएएम एशिया (CARAM Asia) ने कहा कि इस सप्ताह ढाका में मिलने वाले एशिया के मजदूर भेजने वाले देशों के मंत्रियों को प्रवासी मजदूरों के संरक्षण का, एक–साथ समर्थन/अनुमोदन करना चाहिए। संगठन ने कहा कि उन्हें प्रवासी घरेलू श्रमिकों, जिन्हें खास तौर पर उत्पीड़न का अधिक जोखिम है, के संरक्षण तथा उनके भर्ती संबंधी उत्पीड़न की समाप्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19 अप्रैल से 21 अप्रैल, 2011 तक बांग्लादेश, एशियाई संविदात्मक प्रवासी मजदूरों पर क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शी बैठकों की कड़ी में, ''कोलंबो प्रोसेस''("Colombo Process") के चौथे चक्र का आयोजन करेगा। ''माइग्रेशन विद डिग्निटी'' (Migration with Dignity) मूल मंत्र वाक्य के तहत विदेशों में भारी संख्या में मजदूर भेजने वाले 11 एशियाई देशों के प्रतिनिधि, समन्वय बढ़ाने, प्रवास के लाभ को अनुकूलतम बनाने और अपने देश एवं विदेश में उत्पीड़न रोकने हेतु रणनीतियों पर विचार–विमर्श करेंगे। एशिया और मध्य पूर्व के कई देश, जहां ये मजदूर जाते हैं, इस बैठक में प्रेक्षक के रूप में भाग लेंगे।

ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) की महिला अधिकारों की वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता सुश्री निशा वारिया ने कहा, कि ''प्रवासियों के उत्पीड़न का संबंध अक्सर, जानकारी की कमी, खराब समन्वय और नौकरी के लिए प्रतियोगिता से होता है, इसलिए इन सरकारों को एक साथ एक मेज पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान करने का एक बड़ा मौका है।'' ''ढाका बैठक, क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ, सफल सुधारों के बारे में जानकारी के आदान–प्रदान का भी अच्छा अवसर है।''

विज्ञप्ति पत्र ''प्रोटेक्टिंग एशियन माइग्रेन्ट्स राइट्स : रेकमेंडेशन्स टू गवर्नमेंट्स ऑफ द कोलंबो प्रोसेस ("Protecting Asian Migrants' Rights: Recommendations to Governments of the Colombo Process,") में प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध किया गया है, कि वे घरेलू कार्य के लिए श्रम मानकों पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भावी क्षेत्रीय चर्चाओं में सिविल समाज की भागीदारी में वृद्धि, बहुपक्षीय सहयोग में वृद्धि को प्रोत्साहन और प्रवासी मजदूरों से लिए जाने वाले भर्ती शुल्क को समाप्त करने के उपाय करने के बारे में समर्थन देने का वचन दें।

प्रवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध 200 समूहों के क्षेत्रीय नेटवर्क, माइग्रेन्ट फोरम इन एशिया (Migrant Forum in Asia) के समन्वयक, विलियम गोइस (William Gois) ने कहा कि ''हम उत्साहित हैं कि सरकारें कोलंबो प्रोसेस (Colombo Process) को फिर से आरंभ कर रही हैं, किंतु प्रवासियों का प्रतिनिधित्व भी बैठक में होना चाहिए/उनकी बात सुनी जानी चाहिए। प्रवासियों का प्रतिनिधित्वि करने वाले संगठन और मजदूर संघ होने के नाते, हम चाहते हैं कि उन्हें बैठकों में अधिक भागीदारी मिले और चर्चाओं में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं।''

प्रति वर्ष लगभग 30 लाख पुरुष और महिलाएं प्रवास करते हैं, इनमें से काफी बड़ी संख्या, अन्य एशियाई एवं खाड़ी के देशों में घरेलू काम–काज करने वाले, भवन–निर्माण, वस्तु उत्पादन और कृषि कार्य करने वाले मजदूरों की है। प्रवासी मजदूर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं– वे उन देशों में मजदूरों की मांग पूरी करते हैं, और वर्ष 2010 में, एशियाई प्रवासी मजदूरों ने लगभग 175 करोड़ अमेरिकी डालर अपने घरों को भेजे। खासकर खाड़ी के देश एशियाई संविदा मजदूरों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण के तौर पर, प्रत्येक दो कुवैती नागरिकों के लिए औसतन एक प्रवासी घरेलू

नौकर है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रवासी मजदूरों ने सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में भवन–निर्माण में आई तेजी को और बढ़ाया है।

समूहों ने कहा, किंतु अपर्याप्त सुरक्षा साधनों/उपायों के कारण, प्रवासियों को, भर्ती संबंधी धोखाधड़ी और कर्जे, मजदूरी न दिए जाने कार्यस्थल का जोखिम भरा/हानिकारक परिवेश, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, और मानव तस्करी सहित कई तरह के उत्पीड़नों का खतरा बना रहता है। बिना लाइसेंस भर्ती करने वाले, अक्सर बिना दंड पाए काम करते रहते हैं, प्रवासियों को अपने अधिकारों तथा सहायता कहां से लें, इन सबके बारे में सीमित जानकारी होती है और प्रवास नीतियों के कारण भी मजदूर उत्पीड़नकारी नियोक्ताओं के जाल में फंस जाते हैं।

ढाका विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अध्यक्ष, डॉ. चौधरी अबरार (Dr. Chowdhury Abrar) ने कहा कि ''जब उनसे भर्ती के लिए शुल्क बहुत अधिक और बढ़ा–चढा कर वसूला जाता है, तो वे भारी कर्ज तले दब जाते हैं, और वे विशेषतः उत्पीड़न के आसान शिकार हो सकते है। इस भारी शुल्क में कटौती और अनैतिक भर्ती प्रक्रिया को बंद करना किसी भी सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक होगा।''

विगत वर्षों में एशियाई और मध्य–पूर्व की सरकारों ने वृद्धिशील सुधार लागू किए हैं और इस वर्ष का मंच सर्वोत्तम विधियों के बारे में जानकारी के आदान–प्रदान के लिए अवसर प्रदान करेगा। जबकि कुछ देशों ने द्विपक्षीय समझौतों की सहायता से मजदूरों के प्रवास की निगरानी में सुधार किया है, किंतु भेजने और प्राप्त करने वाले देशों की असमान सौदा शक्तियों के कारण, अंतिम करार काफी लचर रहा है। समूहों ने कहा कि ऐसी समझौता–वार्ताओं के अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं। जब 2009 में अधिक सुरक्षात्मक समझौता ज्ञापन तैयार कर लिए जाने तक, इंडोनेशिया ने मलेशिया में प्रवासी मजदूरों का भेजा जाना बंद कर दिया था, तब मलेशिया के नियोक्ताओं ने उनकी बजाय कंबोडियाई मजदूरों की ओर रुख कर लिया था।

सीएआरएएम एशिया (CARAM Asia) के क्षेत्रीय समन्वयक, मोहम्मद हारुन अल रशीद (Mohammad Harun Al Rashid) ने कहा कि ''हालांकि विदेशों में काम करने वाले एशियाई प्रवासी भी ऐसे ही उत्पीड़न का सामना करते हैं, उनकी सरकारों ने इसका द्विपक्षीय समाधान भी निकाला है, किंतु परिणाम यह रहा है कि उन्हें समझौते में कही गई बातों से अधिक कमजोर सुरक्षा प्रदान की गई है।''

सशस्त्र विद्रोह के कारण लीबिया से जाने वाले प्रवासियों की भारी संख्या को देखते हुए, कोलंबो प्रोसेस (Colombo Process) बैठक की सरकारें, ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में समन्वित उपाय किए जाने के बारे में भी चर्चा करने की योजना बना रही हैं। कई बांग्लादेशी प्रवासी मिस्र और ट्यूनीशिया में फंस गए थे और उनके पास घर वापस लौटने के भी साधन नहीं थे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन, कोलंबो प्रोसेस (Colombo Process) को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराता है और इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। मजदूर भेजने वाले देश, जो कोलंबो प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, वे हैं – अफगानिस्तान, बांग्लादेश चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन्स,, श्रीलंका, थाईलैंड, और वियतनाम। नियोक्ता देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ प्रेक्षक देश हैं – बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतर, दक्षिण कोरिया, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।

पिछली तीन क्षेत्रीय परामर्शी बैठकों का आयोजन कोलंबो, श्रीलंका (2003), मनीला, फिलीपीन्स (2004) और बाली, इंडोनेशिया (2005) में किया गया था। वर्ष 2008 में संयुक्त अरब अमीरात में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कोलंबो प्रोसेस की सरकारें और खाड़ी समन्वय परिषद के सदस्य देश, यमन, सिंगापुर और मलेशिया, एकजुट हुए थे।

ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) की रिपोर्ट, "स्लो रिफार्मः प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेन्ट डोमेस्टिक वर्कर्स इन एशिया एंड द मिडल ईस्ट" **("Slow Reform: Protection of Migrant Domestic Workers in Asia and the Middle East,")** पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएँ :

http://www.hrw.org/en/reports/2010/04/28/slow-reform-0

माइग्रेन्ट फोरम इन एशिया (Migrant Forum in Asia) की रिपोर्ट, "लेबर रिक्रूटमेन्ट टू द यूएईः गैप्स बिटवीन पॉलिसी प्रैक्टिस इन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड द फिलीपीन्स" **(Labor Recruitment to the UAE: Gaps Between Policy Practice in Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, and the Philippines)** पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएँ :

http://www.mfasia.org/resources/information-a-educational-materials/321-labour-recruitment-to-the-uae-gaps-between-policy-practice-in-sri-lanka-nepal-bangladesh-and-the-philippines.html

प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइटों पर जाएँ :

- माइग्रेन्ट फोरम इन एशिया (Migrant Forum in Asia): http://www.mfasia.org
- ह्यूमेन राइट्स वाच (Human Rights Watch): http://hrw.org/doc/?t=migrants
- सीएआरएएम एशिया (CARAM Asia): http://www.caramasia.org

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

ढाका में, माइग्रेन्ट फोरम इन एशिया (Migrant Forum in Asia) के लिए, विलियम गोइस (अंग्रेजी, उर्दू) +63-920-960-0916 (मोबाइल) या mfa@pacific.net.hk

ढाका में, रिफयूजी एंड माइग्रेटरी मूवमेन्ट्स यूनिट (Refugee and Migratory Movements Unit) के लिए, डॉ. चौधरी अबरार (अंग्रेजी, बांग्ला): +880-171-547-4713 (मोबाइल)

ढाका में, सीएआरएएम एशिया (CARAM Asia) के लिए, मोहम्मद हारुन अल रशीद (अंग्रेजी, बांग्ला): +880-175-009-7930 (मोबाइल)

ढाका में, ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) के लिए, निशा वारिया (अंग्रेजी, स्पैनिश): +880-175-921-7506 (मोबाइल) या varian@hrw.org

म्यूनिख में, ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) के लिए, क्रिस्टोफ विल्के (अंग्रेजी, जर्मन, अरबी): +49-160-9670-0753 (मोबाइल)